न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–27 / 2024 दायर दिनांकः 26.12.2024

GCMS NO:- 2024/311 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. बद्रीलाल आ0 अम्बालाल जाति गुर्जर नि0 नाथडी तहसील नैनवॉ।
2. रामकरण आ0 अम्बालाल जाति गुर्जर नि0 नाथडी तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार साहब नैनवॉ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र–: अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री भारत भुषण गौत्तम।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नाथडी प.म. खेरूणा मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 329 / 207 रकबा 0.1618 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके संयुक्त सहखातेदारान प्रार्थीगण है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे आने जाने हेतु रोड से रणजीत मीणा का झोपडा मे जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 208 लामी बर्डी वांके ग्राम नाथडी बना हुआ है किन्तु रास्ता खसरा नम्बर 208 व 329 / 207 के मध्य गै0मु0 बर्डा खसरा नम्बर 427 / 207 राजकीय भूमि ग्राम नाथडी मे पडती है, उसमे होकर परिशिष्ट अ मे क से ख बिन्दू तक जिसे लाल स्याही से अंकित कर रखा है। प्रार्थीगण नवीन रास्ता चाहते है। यह रास्ता चौडाई मे करीब 20 फीट आवश्यक है। इस रास्ते की मांग प्रार्थीगण इसलिए कर रहे है क्योंकि इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के खाते की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित पर जाने हेतु उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के अधिकारीगण तहसीलदार साहब नैनवॉ तथा पटवारी हल्का से रास्ता बहाल करवाने हेतु निवेदन किया गया लेकिन उन्होने दिनांक 16.12.2024 को रास्ता देने से साफ मना कर प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैनवॉ के यहां कार्यवाही करने हेतु कह दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। यह है कि प्रार्थीगण को अधिकारी प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित एवं परिशिष्ट अ मे लाल रंग से दर्शित रास्ते को प्रार्थीगण के खेतों मे पहुंचने का रास्ता घोषित कर 20 फीट चौडा रास्ता किया जावे जिसके लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, परिशिष्ट अ, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि पेश कर प्रार्थीगण को परिशिष्ट अ के अनुसार रास्ता दिया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 17.3.2025 के मुताबिक प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 329 / 207 मे पहुंचने हेतु गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 208 से खसरा नम्बर 427 / 207 मे से रास्ता दिया जाना उचित बताया तथा उसके अतिरिक्त मौके पर अन्य कोई लघुत्तम एवं वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही होना बताया।

बहस एकपक्षीय सुनी गयी। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 329 / 207 मे पहुंचने हेतु गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 208 से खसरा नम्बर 427 / 207 मे से रास्ता दिया जाना बताया है यदि उसके अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो उसमे उन्हे कोई आपत्ती नही होगी।

हमने विद्वान वकील प्रार्थीगण की बहस के विवेचन, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 17.3.2025 के मुताबिक प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 329 / 207 मे पहुंचने हेतु गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 208 से खसरा नम्बर 427 / 207 मे से रास्ता दिया जाना उचित बताया है जिसके अनुसार रास्ता देने की सहमति प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दी गयी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नाथडी प.म. खेरूणा मे स्थित प्रार्थीगण की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 329 / 207 रकबा 0.1618 हैक्टयर भूमि पर पहुंचने के लिए गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 208 से खसरा नम्बर 427 / 207 मे से नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता लाल स्याही से प्रदर्शित है, के अनुसार निम्नानुसार रास्ता दिया जाता है। नक्शा ट्रेस को परिशिष्ट क नाम दिया गया है जो इस न्यायालय आदेश का अभिन्न अंग होगा, के अनुसार रास्ता

राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवॉ को दिये जाते है। :–

रास्ते मे प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरण

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x	चौडाई	क्षेत्रफल
427/207	सिवायचक (सरकारी)	गै0मु0 बर्डा	72.6 फीट	x	13 फीट	943.8 वर्गफीट

अर्थात 0.0087 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 943.8 वर्गफीट या 0.0087 हैक्टयर

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि प्रतिकर राशि राजकोष मे जमा होने के उपरान्त नियमानुसार रास्ता दर्ज कर बहाल करवाना सुनिश्चित करें। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां